Website : www.prsuniv.ac.in E-mail ID- registrar@prsuniv.ac.in

प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ0प्र0

Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.

Azadi Ka Amrit Mahotsav

पत्रांक : प्रोरासिविवि/कुसका/2023– 1518 दिनांक 25 नवम्बर, 2023

सेवा में,

प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष,
सत्र 2023–24 की विषम सेमेस्टर के परीक्षा केन्द्र,
सम्बद्ध प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय,
प्रयागराज, उ0प्र0।

विषयः सत्र 2023–24 की विषम परीक्षाओं में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षाओं को शुचितापूर्ण एवं नकलविहीन सम्पन्न कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2023–24 की विषम सेमेस्टर परीक्षाएं दिनांक 28.11.2023 से प्रारम्भ कर संचालित कराई जानी हैं। परीक्षाओं को शुचितापूर्ण एवं नकलविहीन सम्पन्न कराए जाने के दृष्टिगत निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं–

1. बिना प्रवेश–पत्र के किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा परीक्षार्थी का फोटो प्रवेश–पत्र एवं वेरिफिकेशन कार्ड पर एक ही होना चाहिए। चस्पा किए गए फोटो तथा सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी के चेहरे की पहचान में किसी प्रकार की विसंगति होने पर यू0एफ0एम0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए।
2. प्रवेश–पत्र के साथ परीक्षार्थी कम से कम एक फोटोयुक्त वैध पहचान–पत्र यथा–ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई0डी0, आधार कार्ड अथवा पासपोर्ट में से किसी एक का होना अनिवार्य होगा।
3. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में 30 मिनट पूर्व ही आने की अनुमति होगी तथा महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र के गेट पर विधिवत् चेकिंग के उपरान्त ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिए जाएं।
4. परीक्षा केन्द्र के प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष नोडल केन्द्र से गोपनीय प्रश्न–पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं के लाने–ले जाने के लिए महाविद्यालय के किसी व्यक्ति को अपने हस्ताक्षर एवं महाविद्यालय की सील के साथ अधिकृत करेंगे। नोडल केन्द्र अधिकृत किए गए व्यक्ति से सम्बन्धित निर्गत प्राधिकार पत्र सुरक्षित रखेंगे तथा मांगे जाने पर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।
5. गोपनीय प्रश्न–पत्र केन्द्राध्यक्ष द्वारा आधे घण्टे पूर्व ही खोले जाएंगे तथा प्रश्न–पत्र खोले जाने का समय पृथक से एक पंजिका पर तिथिवार अंकित किया जाए। गोपनीय प्रश्न–पत्रों के पैकेट्स केन्द्राध्यक्ष तथा वरिष्ठ कक्ष निरीक्षक की उपस्थिति में ही खोले जाएंगे तथा पंजिका एवं लिफाफे पर केन्द्राध्यक्ष तथा वरिष्ठ कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होने अनिवार्य होंगे।
6. प्रश्न–पत्रों के पैकेट्स को खोलते समय 02 से 03 मिनट की वीडियो रिकार्डिंग अनिवार्य रूप से की जाए तथा उसे परीक्षा अवधि तक सुरक्षित रखा जाए।
7. ऐसे परीक्षा केन्द्र जिसमें एक या उससे अधिक महाविद्यालयों की परीक्षाएं आयोजित करायी जा रही हैं, उनमें महाविद्यालयवार पृथक–पृथक परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्षों में न बैठया जाए अपितु एक साथ क्रमवार बैठाने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। अन्यथा की स्थिति में इसी अनुचित साधन प्रयोग के अन्तर्गत माना जाएगा।

पताः मिर्जापुर रोड, नैनी, प्रयागराज, पिनकोड–211010 (उ0प्र0), फोनः 0532–2256207
Address : Mirzapur Road, Naini, Prayagraj, Pincode-211010 (U.P.) Ph. 0532-2256207

8. परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष की उपस्थिति अनिवार्य होगी। केन्द्राध्यक्ष की अनुपस्थिति की सूचना परीक्षा नियंत्रक की ई–मेल आई0डी0–coc@prsuniv.ac.in पर भेजी जाए तथा विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति के उपरान्त ही प्रभारी केन्द्राध्यक्ष कार्य करेंगे।
9. परीक्षा केन्द्र पर यदि किसी अन्य महाविद्यालय के शिक्षकों को ड्यूटी पर लगायी गयी है तो उनकी ड्यूटी उनके महाविद्यालय के परीक्षार्थियों के परीक्षा कक्षों में न लगायी जाए।
10. परीक्षा केन्द्र पर ड्यूटी करने वाले समस्त कक्ष निरीक्षकों को परीक्षा केन्द्र द्वारा परिचय पत्र निर्गत किए जाएं जिसमें उनके नाम, पदनाम, फोटो एवं हस्ताक्षर आवश्यक रूप से उपलब्ध हो। बिना परिचय पत्र के किसी कक्ष निरीक्षक को तत्समय ड्यूटी करने की अनुमति नहीं होगी।
11. नोडल केन्द्र द्वारा प्रश्न–पत्रों का निर्गमन दोनों पालियों का एक साथ ही प्रातः 08.00 बजे किया जाएगा। सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र का यह दायित्व होगा कि सायं पाली का प्रश्न–पत्र डबल लॉक में सुरक्षित रखा जाए तथा सम्बन्धित पाली की परीक्षा के 30 मिनट पूर्व ही डबल लॉक से वितरण हेतु निकाला जाए।
12. लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का संकलन नोडल केन्द्र द्वारा अपराह्न 07.00 बजे तक किया जाएगा। इसके उपरान्त किसी भी नोडल केन्द्र द्वारा उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त नहीं की जाएगी। विलम्ब से उत्तर पुस्तिका के आने का विवरण सायंकाल 07.00 से 07.15 बजे के मध्य परीक्षा नियंत्रक की ई–मेल आई0डी0– **coc@prsuniv.ac.in** पर अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जाए।
13. परीक्षा केन्द्र में स्थापित सी0सी0टी0वी0 कैमरों को विश्वविद्यालय के नियंत्रण कक्ष से यदि नहीं जोडा गया है तो विलम्बतम दिनांक 27.11.2023 तक अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। सी0सी0टी0वी0 कैमरों को विश्वविद्यालय के नियंत्रण कक्ष से न जोड़ा जाना तथा चालू हालत में न रखना इस बात का द्योतक है कि परीक्षा केन्द्र अनुचित साधन प्रयोग में लिप्त है तथा सी0सी0टी0वी0 कैमरों के पासवर्ड बार–बार न बदले जाएं, यदि किसी अतिमहत्वपूर्ण स्थिति में पासवर्ड बदलने की आवश्यकता होती है तो इसकी एक दिन पूर्व सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
14. परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के पास मोबाइल का पाया जाना अनुचित साधन प्रयोग के अन्तर्गत होगा। साथ ही परीक्षा केन्द्र के कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी में संलग्न शिक्षकों को मोबाइल रखना प्रतिबन्धित रहेगा। केवल केन्द्राध्यक्ष के पास ही मोबाइल रखने की अनुमति होगी।
15. परीक्षा कक्षों में 3 सीटर सीट पर केवल दो परीक्षार्थी (दोनों अलग–अलग छोर पर) ही बैठाए जाएं। परीक्षा केन्द्र के समस्त कक्षों में पर्याप्त बल्ब/ट्यूट लाइट उपलब्ध एवं संचालित रहे, कमरों में अंधेरे की स्थिति न हो।
16. कक्ष निरीक्षक/आन्तरिक/वाह्य सचलदस्ते द्वारा अनुचित साधन प्रयोग की उत्तर पुस्तिकाओं को पृथक से सील करते हुए भेजी जाएंगी तथा सम्बन्धित उत्तर पुस्तिका एवं नकल सामग्री पर महाविद्यालय की सील के साथ केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
17. परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केन्द्र पर महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का कोई भी पदाधिकारी /सदस्य अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य उपस्थित नहीं होना चाहिए।

18. उत्तर पुस्तिका के मुख पृष्ठ (ओ0एम0आर0)/आन्तरिक पृष्ठों पर महाविद्यालय की मुहर/सील कदापि न लगायी जाए, अन्यथा की स्थिति में यह अनुचित साधन प्रयोग के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
19. परीक्षार्थियों को स्पष्ट निर्देशित कर दिया जाए कि उत्तर पुस्तिका के मुख पृष्ठ (ओ0एम0आर0) को छोड़कर अन्य किसी पृष्ठ पर अपने अनुक्रमांक/मोबाइल नम्बर अथवा अन्य कोई विवरण अंकित नहीं करेंगे।
20. लिखित उत्तर पुस्तिकाओं की पैकिंग के समय यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल का विवरण इस प्रकार चस्पा किया जाए कि बण्डल में रखी गयी प्रथम/ऊपर की उत्तर पुस्तिकाओं को नुकसान न पहुंचे।
21. समस्त केन्द्राध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थियों को केवल एक ही उत्तर पुस्तिका उपलब्ध करायी जाए। किसी भी परीक्षार्थी की एक ही प्रश्न–पत्र की दो अथवा अधिक उत्तर पुस्तिकाएं विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र पर अनुचित साधन प्रयोग के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

अतएव, आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें जिससे कि परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित हो सके।

भवदीय

(संजय कुमार)
कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. माननीय कुलपति जी।
2. उप कुलसचिव–परीक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को समस्त महाविद्यालय परीक्षा केन्द्रों की कालेज लॉग–इन पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
3. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक